2025:CGHC:42575–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1679/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 18.06.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 22.08.2025

1– महेंद्र सिंह उर्फ पप्पू पिता स्व. राम कुमार सिंह,आयु लगभग–35 वर्ष, निवासी– पुलिस चौकी दफाई, कोरिया कोलियरी, थाना चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना– प्रभारी, थानाः चिरमिरी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

प्रत्यर्थी (गण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी(गण) की ओर से	: श्री रोहित शर्मा, अधिवक्ता, विधिक सेवा के माध्यम से
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से	: सुश्री एम. आशा, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सीएवी निर्णय

द्वारा, न्यायमूर्ति रजनी दुबे

1. यह वर्तमान अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम के अधीन) बैकुंठपुर, कोरिया द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण(पॉक्सो) क्रमांक 04/2019 में दिनांक 19.09.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है एवं उसे आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदण्ड व्यतिक्रम सशर्त दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 20.12.2018 को अभियोक्त्री ने संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि उसकी माँ ने उसके पिता/अभियुक्त से तलाक ले लिया है और वह अपने दूसरे पति के साथ अलग रह रही है। दिनांक 05.12.2008 को रात लगभग 9:00 बजे, वह अपने पिता और बहन के साथ रात्रि भोजन के उपरांत सोने चली गई। वह अपनी बहन के साथ

एक बिस्तर पर और उसके पिता उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सो रहे थे। रात लगभग 11:30 बजे, जब वह और उसकी बहन गहरी नींद में थे, तो अभियुक्त ने उसके लेगिंग और अंडरगारमेंट को उतारकर उसके साथ बलात्संग किया। आपत्ति जताने पर, उसने उसे डांटा और ऐसा कृत्य करना जारी रखा। उसने उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी भी दी। लगभग 5 दिवस उपरांत उसने यह घटना अपने पास की रिश्तेदार ज्योति को बताया, जिसने इसे उसकी बुआ सावित्री सिंह को बताया। उसकी बुआ ने अभियुक्त को डांटा और अभियोक्त्री को अपने घर रख लिया। दिनांक 15.12.2018 को जब वह रात्रि भोजन आदि करने के उपरांत अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में अपनी बुआ, फूफा और बहन के साथ सो रही थी, तो रात लगभग 12:00 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसके लेगिंग और अंडरगारमेंट को उतारकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। आपत्ति जताने के बावजूद, अभियुक्त/अपीलार्थी ने कृत्य जारी रखा और अपनी हवस पूरी की। उसने यह जानकारी अपनी मौसी अन्नू खाल्खो को बताई, जिसने इसे उसकी माँ को बताया, जिसके बाद उन्होंने प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर, अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के उपरांत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत है। अभियोजन साक्षी के कथनों में तात्विक लोप और विरोधाभास हैं। घर में इतने सारे परिवार के सदस्य मौजूद थे, अतः अभियुक्त के लिए अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करना संभव नहीं था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने में भी विलंब हुआ है। अभियुक्त और अभियोक्त्री की माँ के मध्य विवाद था और उसने किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया है, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया गया है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बबलू पासी विरुद्ध झारखंड राज्य व एक अन्य,** (2008) 13 **एससीसी** 133 में प्रकाशित, **डोला उर्फ डोलागोबिंदा प्रधान व एक अन्य विरुद्ध ओडिशा राज्य,** (2018) 18 **एससीसी** 695 में प्रकाशित और इस न्यायालय द्वारा **सुंदर लाल उर्फ पप्पू विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य दाण्डिक अपील क्रमांक** 352/2024 **में दिनाँक** 05.07.2024 **को पारित निर्णय** का अवलंब लिया गया है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है एवं तर्क किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया है और अपीलार्थी को उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। अतः अपील खारिज की जाए ।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।

6. सर्वप्रथम हमें यह विचार करना है कि क्या घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी या नहीं?

7. अभियोजन ने मुख्य रूप से प्रदर्श पी.12 दाखिल खारिज पंजी के साथ–साथ कक्षा–1 की अंकसूची (वस्तु ए–1) का अवलंब लिया है। अ.सा.–5 श्रीमती निर्मला टोप्पो, प्रधानाचार्य, प्राथमिक शाला, कोरिया कोलियरी, जिला कोरिया, ने अपने न्यायालयिक कथन में कहा कि विवेचना के दौरान, विद्यालय की दाखित खारिज पंजी को जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी./9) के अनुसार पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। नामांकन पंजी प्रदर्श पी./12 है। उक्त पंजी की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी/12–C है और इस पंजी के अनुसार, अभियोक्त्री की जन्म तिथि 05.06.2005 है। उसे दिनाँक 16.06.2010 को कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था। प्रति–परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के प्रवेश के समय वह विद्यालय में पदस्थ नहीं थी और उक्त विद्यालय पंजी में अभियोक्त्री की जन्म तिथि से संबंधित पृष्ठांकन उसकी हस्तलिपि में नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अ.सा.–1 अभियोक्त्री ने कथन किया कि उसकी आयु लगभग 14 वर्ष है और उसका जन्म वर्ष 2005 है, जबकि उसे माह याद नहीं है। अभियोक्त्री की माँ ने कथन किया कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 05.06.2005 है। अभियोक्त्री की माँ ने अपने न्यायालयिक कथन में यह नहीं बताया है कि वह किस आधार पर कह रही है कि उसकी जन्म तिथि 05.06.2005 है। साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, पीड़िता की जन्म तिथि के समर्थन में केवल विद्यालय का दाखिल खारिज पंजी (प्रदर्श पी./12) ही उपलब्ध है।

9. इस न्यायालय ने **सुंदर लाल उर्फ पप्पू उर्फ विशाल**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में कण्डिका 13, 14 व 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> 13. रवींद्र सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 (5) { एससीसी } 584 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय बिराद मल सिंहवी विरुद्ध आनंद पुरोहित, 1988 { पूरक एससीसी } 604 का अवलंब लेते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:
>
> "26. किसी दस्तावेज़ को धारा 35 के अधीन ग्राह्य बनाने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: पहला, जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया जा रहा है, वह किसी लोक या अन्य शासकीय पुस्तिका, पंजी या अभिलेख में होनी चाहिए; दूसरा, यह विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिए; और तीसरा, इसे किसी लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में, या विधि द्वारा विशेष रूप से अधिरोपित कर्तव्य) के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना

चाहिए। विद्यालय पंजी में की गई जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत और ग्राह्य है, लेकिन जिस सामग्री के आधार पर आयु दर्ज की गई थी, उसकी अनुपस्थिति में, विद्यालय पंजी में किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में की गई प्रविष्टि का उस व्यक्ति की आयु को साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है।"

14. अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, प्रतिनिधि निरीक्षक पुलिस, 2011(2)एससीसी–385 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। हालाँकि, जिस आधार सामग्री पर आयु दर्ज की गई थी, उसकी अनुपस्थिति में, ऐसे दस्तावेज़ की ग्राह्यता का पीड़िता की आयु को साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की परीक्षण न कराया जाए। अलामेलु (पूर्वोक्त) में अपने निर्णय के कण्डिका 40, 42, 43, 44 व 48 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्र.पी.16) दर्शाता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून,1977 थी। इसलिए, उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तारीख, अर्थात् 31 जुलाई,1993 को वह 16 वर्ष से अधिक (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) की होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। हालाँकि, जिस सामग्री के आधार पर आयु दर्ज की गई थी, उसकी अनुपस्थिति में, ऐसे दस्तावेज़ की ग्राह्यता का बालिका की आयु को साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए।

42. किसी दस्तावेज़ में दर्ज तथ्यों को किस प्रकार साबित किया जा सकता है, इस पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंहवी विरुद्ध आनंद पुरोहित के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "विद्यालय पंजी में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है जब तक कि प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति का परीक्षण न काराया जाए... केवल इसलिए कि दस्तावेज़ प्रदर्श 8, 9, 10, 11 व 12 साबित हो गए थे, इसका अर्थ यह नहीं है कि दस्तावेज़ों की विषयवस्तु भी साबित हो गई थी। दस्तावेज़ों प्रदर्श 8, 9, 10, 11 और 12 का मात्र साबित दस्तावेज़ों में बताई गई जन्म तिथि की सभी विषयवस्तु या शुद्धता का सबूत नहीं माना जाएगा। चूंकि तथ्य की सत्यता, अर्थात् हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि, विवाद्यक थी, इसलिए उपर्युक्त दो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों का मात्र सबूत तथ्यों की सत्यता या दस्तावेज़ों की विषयवस्तु का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। विवाद्य तथ्यों की सत्यता या अन्यथा, अर्थात् दस्तावेज़ों में उल्लिखित दो उम्मीदवारों की जन्म तिथि, ग्राह्य साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है, अर्थात् उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्य तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। प्रत्यर्थी द्वारा हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि के तथ्य की सत्यता को साबित करने के लिए इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में उपर्युक्त दस्तावेज़ों 1988 (पूरक) एससीसी 604 में उल्लिखित जन्म तिथियों का कोई प्रमाणक मूल्य नहीं है और उनमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. इसी विधिक सिद्धांत को इस न्यायालय ने नर्मदा देवी गुप्ता विरुद्ध बीरेंद्र कुमार जायसवाल के प्रकरण में पुनः दोहराया, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "यह विधिक सिद्धांत विवादित नहीं है कि न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज़ को मात्र प्रस्तुत करने और उसे प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने को उसकी विषयवस्तु का सम्यक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। इसका निष्पादन ग्राह्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है, अर्थात् "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं।"

44. हमारे अभिमत में, अभियोजन द्वारा उपर्युक्त साक्ष्य का भार निर्वहन नहीं किया गया है। पिता अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में कुछ नहीं

कहता है। प्रधानाध्यापक का परीक्षण बिल्कुल नहीं कराया गया है। इसलिए, बालिका की आयु निश्चित रूप से अवधारित करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टि का अवलंब नहीं किया जा सकता है।

48. हम आगे यह भी विचार करने योग्य हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, लोक दस्तावेज़ को सिविल के साथ–साथ दाण्डिक कार्यवाही में भी समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रवींद्र सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"किसी व्यक्ति की आयु, जैसा कि विद्यालय पंजी में दर्ज है या अन्यथा, का उपयोग विभिन्न प्रयोजनार्थ किया जा सकता है, अर्थात्, प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह पंजीयन हेतु; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहां तक कि एक सिविल मंच के समक्ष मुकदमा लड़ने के उद्देश्य से भी, उदाहरण के लिए, एक संरक्षक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता या जहाँ यह आधार पर वाद दायर किया जाता है कि वादी अवयस्क होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार शून्य था क्योंकि वह अवयस्क था। किसी वाद के पक्षकार के आयु अवधारण के प्रयोजनार्थ विधिक न्यायालय, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, समान मानक लागू करेगा। एक अभियुक्त के प्रकरण में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अपहरण या बलात्संग के प्रकरण में, या इसी तरह के अपराध में, जहाँ पीड़िता ने अभियुक्त के साथ सहमति दी हो, यदि विद्यालय की पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है।"

15. ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2022 (8) एससीसी 602 के प्रकरण में, विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 33 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"33. उपर्युक्त निर्णयों की श्रृंखला के संचयी विचार पर जो निष्कर्ष निकलता है, वह निम्नानुसार है:

33.2.2. यदि किशोरता का दावा करते हुए न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप–धारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उप–धारा (2) के साथ लागू या पढ़ा जाना होगा ताकि व्यक्ति की आयु को यथासंभव निकट दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य मांगा जा सके।

XXXX XXXX XXX

33.3. जब किशोरता के लिए कोई दावा उठाया जाता है, तो प्रारंभिक भार का निर्वहन करने के लिए न्यायालय का समाधान करने का भार दावा उठाने वाले व्यक्ति पर होता है। हालाँकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन बनाए गए किशोर न्याय अधिनियम 2007 के नियम 12(3)({a})(i), (ii), और (iii) में उल्लिखित दस्तावेज़, या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप–धारा (2), न्यायालय की प्रथम दृष्टया समाधान के लिए पर्याप्त होंगे। उपर्युक्त दस्तावेज़ों के आधार पर किशोरता की उपधारणा उत्पन्न की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33.4. यह उपधारणा हालाँकि आयु की किशोरता का निर्णायक साक्ष्य नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा प्रस्तुत विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।

33.5. न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया वही नहीं है जो संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन होने पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मांगी गई व्यक्ति की आयु को किशोर घोषित करने की है। जाँच के प्रकरण में, न्यायालय एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है, लेकिन जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (2) के अनुसार आयु का अवधारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, जाँच में सबूत का मानक उस कार्यवाही में अपेक्षित मानक से भिन्न होता है जहाँ किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जानी होती है, जिसका बारीकी से जाँच की जाती है और केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

33.6. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अनम्य सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और प्रत्येक प्रकरण में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर होना चाहिए।

33.7 इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जब अभियुक्त की ओर से यह अभिवाक् के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर था, तो अति–तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकाव रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का लाभ विधि से संघर्षरत किशोर को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का उपयोग गंभीर अपराध करने के बाद दंड से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33.9. जब आयु का निर्धारण विद्यालय अभिलेख जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार माना जाए, क्योंकि शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में रखा गया कोई भी लोक या आधिकारिक दस्तावेज़ निजी दस्तावेज़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता रखेगा।

33.10. कोई भी दस्तावेज़ जो लोक दस्तावेज़ों के अनुरूप है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र , न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा लोक दस्तावेज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों, अर्थात् धारा 35 व अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11. अस्थि–परीक्षण आयु अवधारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षण द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में एक यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में विचार किया जाने वाला केवल एक अत्यंत उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।"

10. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई भी निर्णायक और विधिक रूप से ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह तथ्य साबित हो सके कि घटना की तारीख को पीड़िता अवयस्क थी, इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उसे अवयस्क माना है। अतः, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष को अपास्त करते हैं कि घटना की तारीख को पीड़िता की आयु 16 या 18 वर्ष से कम थी।

11. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ बलपूर्वक संभोग का विवाद्यक है, हमने पीड़िता के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

12. अ.सा.–1 अभियोक्त्री ने कथन किया कि अभियुक्त उसका फूफा है। छह माह पूर्व उसके पिता ने उसके साथ बलात्संग किया था, जिसकी सूचना उसने अपनी बुआ को दी, तब उसकी बुआ ने उसे और उसकी बहन को अपने घर रखा। घटना की तारीख को, जब वह अपनी बुआ के साथ सो रही थी, उसके फूफा अर्थात् अभियुक्त और उनके बच्चे सो रहे थे, तब अभियुक्त ने उसके कपड़े उतार दिए और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए। अगली सुबह उसने इस बारे में अपनी बहन को बताया, जिसने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिस पर उसने अभियुक्त/फूफा को डांटा। अभियोक्त्री ने आगे कथन किया कि उसने इस घटना की सूचना पड़ोस की ज्योति को भी दी, जिसने उसकी बुआ के साथ संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा, लेकिन उसकी बुआ रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गईं। बाद में, उसकी मौसी को इस घटना के बारे में पता चला और उसने यह बात अभियोक्त्री की माँ को बताई, जिसके बाद उन्होंने संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी./1) के A से A भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उसने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रदर्श पी./2 पर अपनी सहमति दी और इसके A से A भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन प्रदर्श प्र.पी./3 व पी/4 के माध्यम से दर्ज किया और उसने इसके A से A भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

13. प्रति–परीक्षण में, अभियोक्त्री इस बात पर दृढ़ रही कि अभियुक्त ने उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए थे। अभियोक्त्री की माँ (अ.सा.–2) ने कथन किया कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री है। वह अपने पति से अलग हो गई थी और अपने मायके में रह रही है और उसने किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया है। उसने आगे कथन किया कि 6 माह पूर्व, अभियोक्त्री की मौसी ने उसे बताया कि अभियुक्त/फूफा और अभियोक्त्री के पिता ने उसके साथ बलात्संग किया है, तब वह दोनों से इस बारे में पूछताछ करने गई, किंतु जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थाने गई। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अभियोक्त्री के पिता के साथ पूर्व शत्रुता के कारण उसने उसे झूठा फंसाया है।

14. अ.सा.–3 अभियोक्त्री की मौसी ने कथन किया कि अभियोक्त्री द्वारा यह सूचित किया गया था कि दिनांक 05.12.2018 को उसके पिता ने उसके साथ बलात्संग किया, जिसकी सूचना उसने अपनी बुआ को दी, जिसके बाद अभियोक्त्री और उसकी बहन को उसकी बुआ ने अपने घर रखा। उसने आगे कथन किया कि दिनांक 15.12.2018 को लगभग 12 बजे, जब अभियोक्त्री सो रही थी, तब अभियुक्त, जो उसका फूफा है, ने पीड़िता की लेगिंग और पैंटी हटा दी और उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए। उसने आगे कथन किया कि सूचना मिलने पर, उसने अपने पिता, अपनी बहन अनीता और अभियोक्त्री के साथ मिलकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस साक्षी ने जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी. /8 व पी./9) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

15. अभियोक्त्री की बहन (अ.सा.–4) ने अभियोक्त्री के कथन का समर्थन किया और कहा कि जब वह अभियोक्त्री के साथ सो रही थी, तब उसके पिता ने अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उन्हें उनकी बुआ ने अपने घर रखा, जहाँ अभियुक्त ने उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. डॉ. आयुषी राय (अ.सा.–6) ने दिनांक 21.12.2018 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया और पाया कि उसका हाइमन हाल ही में फटा हुआ था और 5 बजे की स्थिति में था। लालिमा मौजूद थी और कोई रक्तस्राव नहीं पाया गया और उसने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) दी। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि खेलने या साइकिल चलाने से हाइमन फट सकता है।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिंदु पर कड़ा विरोध किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, घटना की तारीख 15.12.2018 है, जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनाँक 20.12.2018 को पंजीबद्ध कराया गया था और पीड़िता द्वारा विलंब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था, किंतु अभियोक्त्री, उसकी माँ और उसकी मौसी के कथन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उसकी माँ और पिता अलग हैं। अपने कथन में, पीड़िता ने कहा कि सबसे पहले उसके पिता ने उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए और कुछ दिनों बाद जब वह अपनी बुआ के घर सो रही थी, तब अभियुक्त, जो उसका फूफा है, ने उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए, तब उसने इस बारे में अपनी बुआ/आंटी/अभियुक्त की पत्नी को सूचित किया, लेकिन उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया, जिसके बाद उसने इस बारे में अपनी बहन और अपनी मौसी को सूचित किया, जिसके बाद उसकी मौसी ने उसकी माँ (अ.सा.–2) को इस बारे में सूचित किया, तब वे पुलिस थाने गए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कराया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी, अभियोक्त्री ने अभियुक्त के विरुद्ध (प्रदर्श पी–3) के माध्यम से कथन किया

और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, वह इस बात पर दृढ़ रही कि अभियुक्त ने उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए थे। डॉ. आयुषी राय (अ.सा.–6) ने भी उसका हाइमन फटा पाया, अतः चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करती है। इस प्रकार, अभियोजन ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया।

18. अभियोजन इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 16 या 18 वर्ष से कम थी, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं बनता है और केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के तहत अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध बनता है, इस प्रकार अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) से भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च)में परिवर्तित किया जाता है और तदनुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च)के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का दण्ड है, इसलिए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए,उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी दिनांक 22.12.2018 से जेल में है, इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा भुगती गई अभिरक्षा अवधि को कारावास के दण्ड में समायोजित करने के उपरांत,कारावास के दण्ड की शेष अवधि उसे भुगतनी होगी ।

20. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

21. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाए। इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को भी आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाए।

सही/– (रजनी दुबे) न्यायाधीश	सही/– (अमितेंद्र किशोर प्रसाद) न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur